न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

निग–1146–II–16

प्रकरण क्र. निगरानी

(1) मु. जशोदाबाई पुत्री तिजन अहिरवार
(2) छिदामी, घमण्डी तनय हरप्रसाद कुम्हार
(3) शिविन्द्र कुमार तनय रघुवीर सहाय यादव
(4) उमेश तनय राजाराम गुप्ता
(5) सुशील तनय बिहारीलाल गुप्ता
(6) कन्हैयालाल तनय मथुरा प्रसाद यादव
(7) सरमन तनय जुग्गा बसोर
(8) देवेन्द्र तनय बालचन्द्र पटेरिया
सभी निवासी ग्राम पलेरा, तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

—— आवेदकगण

बनाम

(1) लक्ष्मी तनय भगवानदास लुहार
(2) मनमोहन तनय भगवानदास लुहार
(3) हरगोविन्द तनय भगवानदास लुहार
सभी निवासी वार्ड क्र. 13, पलेरा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

—— अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

(1) यह कि, आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 518/बी–121/2014–15 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 21.03.2016 से परिवेदित होकर प्रस्तुत कर रहे हैं जो समय–सीमा में है । माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है ।

(2) यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 08.05.1972 को अनुविभागीय अधिकारी महोदय, जतारा एट

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक.....निग·1146·II/16.....जिला ···टीकमगढ़·····

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.4.16	1– आवेदकगण के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पटैरिया उपस्थित एवं अनावेदकगण/केवियेटकर्तागण की ओर से विद्वान श्री अजय श्रीवास्तव उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। 2– मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त सागर, संभाग सागर म०प्र० के प्र. क्र. 518/बी–121/2014–15 में पारित आदेश दि. 21/03/2016 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। निगरानी के साथ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किए है। उसमें मुख्य रूप से न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जतारा की दायरा पंजी वर्ष 1971–72 के प्रकरण क्रमाँक 14, 15, 16 की प्रमाणित प्रतिलिपि, ग्राम पलेरा हार की नामांतरण पंजी वर्ष 1985 आदेश दिनांक 11/12/1985 की प्रमाणित प्रतिलिपियां, वन मंडल अधिकारी सामान्य वन मंडल टीकमगढ़ का प्रतिवेदन, खसरा पांच साला वर्ष 1979–80 से 1983–84 तक, न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 जतारा, जिला टीकमगढ़ के प्र.क्र. 64ए/14 तुलसीदास लुहार वनाम म.प्र. शासन के वादपत्र एवं आदेश पत्रिकाऐं, अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्र.क्र. 184/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 25/05/2015 तथा विचारण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जतारा, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 122/बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 07/02/2015 की प्रमाणित प्रतिलिपियों की छाया प्रतियां प्रस्तुत की गई। 3– आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में उन्हीं आधारों को दुहराया है जो अपने निगरानी मीमों में लेख किये है। अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में बताया गया कि प्रकरण की वादग्रस्त भूमि विधि विरूद्ध तरीके से बगैर समक्ष अधिकारी के आदेश के विक्रेताओं/अनावेदकगण के नाम दर्ज की गई है तथा उसे बिना कलेक्टर की अनुमति के विक्रय किया है। जिससे भू–राजस्व संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के	

R-1146-II/16

आदेश दिनांक 07/02/2015 एवं अपर आयुक्त सागर संभाग के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 31/03/2016 को यथावत रखते हुए, वाद भूमि म.प्र.शासन के नाम पर दर्ज किए जाने का निवेदन किया।

4— मैंने उभयपक्षों विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में निगरानी एवं उसके साथ प्रस्तुत आदेशों एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिसके अनुसार रा.नि. पलेरा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जतारा के समक्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि, भूमि खसरा नं. 1806/1, 1806/2, 1806/3, 1806/4, 1806/5, 1806/7 स्थित पलेरा हार की भूमि रोस्टर वर्ष 1989—90 से 1993—94 तक कॉलम नंबर 12 में नरसरी वन विभाग, खसरा नंबर 1806/1, 1806/2, 1806/3, 1806/4, 1806/5, 1806/7 रकवा 14.205 हे0 बंजर नरसरी शासकीय वन विभाग दर्ज है। किंतु खसरा रोस्टर वर्ष 1994—95 से 1998—99 तक उक्त खसरा नंबरों को अनावेदकगण गुन्ने, नन्ने एवं अन्य व्यक्तियों के नाम कॉलम 12 में दर्ज का दिए गए, जिसमें से अनावेदकगण द्वारा उपरोक्त भूमि में से कुछ भूमि का विक्रय कर दिया गया। उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज करके अनावेदकगण द्वारा स्वामित्व के दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण उपरोक्त सभी खसरा नंबरों की भूमि शासकीय घोषित किए जाने का आदेश पारित कर दिया।

5— यह कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 07/02/2015 के विरूद्ध एक अपील आवेदकगण द्वारा सक्षम न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। उपरोक्त अपील को उनके द्वारा प्रकरण क्र. 184/अपील/2014—15 पर दर्ज करके अपील स्वीकार करके पारित आदेश दिनांक 07/02/2015 निरस्त कर दिया। अनावेकगणो द्वारा उपरोक्त आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त सागर संभाग सागर, के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जिन्होनें उक्त निगरानी स्वीकार कर अपर कलेक्टर टीकमगढ़ का आदेश दिनांक 25/05/2015 निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी जतारा का आदेश दिनांक 07—02—2015 यथावत रखा गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

6— यह कि इस प्रकरण में प्रमुख रूप से यह तथ्य विचारणीय है कि आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में वादभूमि के स्वत्व के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने के आधार पर शासकीय घोषित किया गया है। जिसके संबंध में आवेदकगण अधिवक्ता से स्पष्टीकरण लेने पर उनके द्वारा तर्क दिया गया कि वाद भूमि के अनुविभागीय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक.....निग.1146 II/16.....जिला ...टीकमगढ़.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अधिकारी जतारा द्वारा विधिवत रूप से वर्ष 1971–72 में पट्टा प्रदाय किए गए थे, तभी से आवेदकगण के नाम लगायत दर्ज चले आ रहे हैं, तहसीलदार जतारा द्वारा ग्राम पलेरा हार की 1985 की नामांतरण पंजी पर पारित आदेश दिनांक 11/12/1985 के द्वारा खाता क्र. 736 से 754 एवं खाता क्र. 756 से 767 तक के नाम दर्ज भूमियों को भूमि स्वामी अधिकार घोषित किया गया है, जिनमें आवेदकगण द्वारा धारित भूमियां भी हैं। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा असल पट्टा भी न्यायालय में प्रस्तुत किए, जिनका अवलोकन करने के उपरांत उन्हें वापिस किया गया। आवेदकगण द्वारा जो खसरा की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गई हैं, उनमें भी स्पष्ट है कि वर्ष 1979–80 से लगातार आवेदकगण के नाम वाद भूमि पर दर्ज हैं। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के आधार पर मैं इस बात से सहमत हूँ कि आवेदकगण को विधिवत रूप से वाद भूमि के पट्टा प्रदान किए गये थे। **7–** यह कि आवेदकगणद्वारा जो वन मंडल अधिकारी सामान्य वन मंडल टीकमगढ़ द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसमें भी उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वन भूमि पर किसी भी व्यक्ति का कोई कब्जा नहीं हैं, वन विभाग के नाम पर खसरा नंबर 1806 से लगी कक्ष क्र. पी 313 एबी है, वह वन विभाग के अधिपत्य में है। वन राजस्व सीमा का निराकरण वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा सीमा लाईन का सत्यापन किया गया है। 1806 की भूमि वन सीमा से बाहर है। जिससे स्पष्ट हैकि खसरा नंबर 1806 की समा का वन विभाग की सीमा से कोई विवाद नहीं है ना ही आवेदकगण का वन भूमि पर कब्जा ही है। **8–** यह कि आवेदकगण/केवियेटकर्ता अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में बताया गया है कि वाद भूमि कलेक्टर की अनुमति के बगैर विक्रय की गई है। जो संहिता की. धारा165(7–ख) का उल्लंघन है। जिसके संबंध में आवेदकगण	

R-1166-II/16

के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि वाद भूमि का विक्रय पट्टा प्राप्त होने के करीब 43 साल बाद हुआ है, विक्रय दिनांक को वादग्रस्त भूमि विक्रेताओं के नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2013 रानि. 08 आधुनिक गृह निमार्ण सहकारी समिति बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. में यह व्यवस्था प्रदान की है कि पट्टा प्राप्त होने तथा भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के 10 साल बाद भूमि विक्रय करने पर कलेक्टर की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती । इसी प्रकार की व्यवस्था संहिता की धारा 158 में भी प्रदान की गई है। इस बिंदु पर भी मैं आवेदकगण अधिवक्ता के तर्को से सहमत हूँ।

9— यह कि आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यह भी कहा बताया कि अनावेदकगण वाद भूमि में से कुछ भूमि हड़पने के आशय से दबाव बनाने वावत यह अधारहीन कार्यावाहियां कर रहे हैं। वे प्रकरण में हितवत नहीं हैं, उनका वाद भूमि पर कहीं कब्जा नहीं है। अनावेदकगण के चाचा तुलसीदास लुहार का कुछ वन भूमि पर कब्जा है, जिसके संबधं में प्रकरण व्यवहार न्यायालय जतारा में लंबित है। जिसमें तुलसीदास के लाऔलाद फौत हो जाने के कारण अनावेदकगण वादी के रूप में पक्षकार हैं। यदि अनावेदकगण कब्जा के आधार पर स्वत्व चाहते हैं, तो वह उसका निराकरण सक्षम व्यवहार न्यायालय से करा सकते हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों से भी इस तथ्य की भी पुष्टि होती है कि, अनावेदकगण जिस भूमि को अपना बता रहे हैं, वह वन विभाग द्वारा धारित भूमि है ना कि आवेदकगण द्वारा धारित भूमि।

10— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी जतारा द्वारा पारित आदेश दिनांक 07/02/2015 एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21/03/2016 निरस्त किये जाते है तथा अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 184/अपील/2014–15 आदेश दिनांक 25/05/2015 स्थिर रखे हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तदानुसार तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वाद भूमि पूर्वतः आवेदकगणों के नाम राजस्व अभिलेख में, कम्प्यूटर अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज करें। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य